



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 14 मई, 2025 / 24 वैशाख, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th April, 2025

No. TPT-F(5)-13/2018.—In supersession of this department notification No. TPT-F(5)-13/2018, 11th August, 2022 and in partial modification of even number dated 22nd July, 2020, the
31—राजपत्र / 2025—14—05—2025 (1869)

Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) is pleased to direct the State Transport Authority, Himachal Pradesh and all Regional Transport Authorities in Himachal Pradesh for charging the minimum fare of Rs. 10/- for first four kilometres in place of Rs. 5/- as fixed earlier for first two kilometres in all Stage Carriage bus services in the State of Himachal Pradesh in the public interest.

By order,

Sd/-

(KAMLESH KUMAR PANT),
Additional Chief Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th May, 2025

No. TPT-F(5)13/2018.—In continuation of this department notification of even number dated 19-04-2025, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) is pleased to issue following directions to the State Transport Authority, Himachal Pradesh and all Regional Transport Authorities in Himachal Pradesh regarding fixation of fare rates of stage carriage bus services in Himachal Pradesh.

DIRECTIONS

1. The State Transport Authority Himachal Pradesh and all Regional Transport Authorities in Himachal Pradesh shall ensure that the following rates of fares are fixed/charged for stage carriage bus services in the State of Himachal Pradesh in the public interest.

(I) Ordinary Bus Services Including Mini Buses
(Fare per passenger per kilometre in paisa) :

- | | |
|---------------------|-----|
| (i) Roads in Plains | 160 |
| (ii) Roads in Hills | 250 |

(II) Deluxe Bus Service
(Fare per passenger per kilometre in paisa) :

- | | |
|---------------------|-----|
| (i) Roads in Plains | 195 |
| (ii) Roads in Hills | 310 |

(III) AC/Super Luxury Bus Service
(Fare per passenger per kilometre in paisa) :

- | | |
|---------------------|-----|
| (i) Roads in Plains | 390 |
| (ii) Roads in Hills | 520 |

2. The fares shown above are maximum fares inclusive of all taxes. These directions will come into force with immediate effect.

Note.—In future, the proposal for the enhancement of fare may be moved by the Department of Transport on a periodic basis as per the official rate of inflation and Minister-in-Charge is authorized to take decision in this regard.

By order,

Sd/-

(R. D. NAZEEM),

Additional Chief Secretary (Transport).

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 9th May, 2025

No. PWD-(B)-F0(5)/9/2024.—In continuation to this Department Notification of even number dated 22-03-2025, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the "Padhiarkhar-Trehal-Khudli-Rakkar-Paprola-Binwa Nagar-Phathar-Bajjnath Road" in District Kangra, H.P. having length of 34.355 km. as Major District Road No. 132 at Sr. No. 123.

Accordingly, the total length of Major District Roads in the State will be 5003.585 kms.

By order,

Sd/-

Secretary (PW).

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 7th May, 2025

No. LLR-E (9)-9/2022-Leg.—Whereas, the following Advocate of District Kullu, H.P. has applied for appointment of notary in the place and area mentioned against his name under rule 4 of the Notaries Rules, 1956:—

Sl. No.	Name of Applicant	Area for which he has applied for appointment of Notary
1.	Sh. Sat Paul, Advocate s/o Sh. Puran Chand, r/o Village & Post Office Olwa, Tehsil Anni, Distt. Kullu (H.P.)-172 025.	Tehsil Anni, District Kullu

Therefore, I undersigned in exercise of the powers conferred *vide* Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg., dated 3rd March, 2023, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh against his appointment as notary in Tehsil Anni, District Kullu.

Sd/-
(RAJINDER SINGH TOMAR),
(Competent Authority),
Addl. LR-cum-Additional Secretary (Law-Eng.).

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 7th May, 2025

No. LLR-E (9)-9/2022-Leg.—Whereas, the following Advocate of District Kullu, H.P. has applied for appointment of notary in the place and area mentioned against his name under rule 4 of the Notaries Rules, 1956:—

Sl. No.	Name of Applicant	Area for which he has applied for appointment of Notary
1.	Sh. Dileep Kumar, Advocate s/o Sh. Bhogi Ram Joshi, r/o Village Anni, Post Office Anni, Tehsil Anni, District Kullu (H.P.)-172 026.	Sub-Division Anni, District Kullu

Therefore, I undersigned in exercise of the powers conferred *vide* Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg., dated 3rd March, 2023, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh against his appointment as notary in Sub-Division Anni, District Kullu.

Sd/-
(RAJINDER SINGH TOMAR),
(Competent Authority),
Addl. LR-cum-Additional Secretary (Law-Eng.).

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 9th May, 2025

No. LLR-E (9)-9/2022-Leg. Whereas, the following Advocate of District Kullu, H.P. has applied for appointment of notary in the place and area mentioned against his name under rule 4 of the Notaries Rules, 1956:—

Sl. No.	Name of Applicant	Area for which he has applied for appointment of Notary
1.	Sh. Amar Singh, Advocate s/o Sh. Tej Ram, r/o Village & Post Office Sarahan, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.)-172 002.	Sub-Division Nirmand, District Kullu

Therefore, I undersigned in exercise of the powers conferred *vide* Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg., dated 3rd March, 2023, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh against his appointment as notary in Sub-Division Nirmand, District Kullu.

Sd/-
(RAJINDER SINGH TOMAR),
(Competent Authority),
Addl. LR-cum-Additional Secretary (Law-Eng.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 13 / 13B / 2025

तारीख दायर : 23-04-2025

श्री मनीष कुमार पुत्र स्व0 श्री कलमा नन्द, गांव अनुराक्षी, डाकघर करेरी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त नाम दुरुस्ती।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त श्री मनीष कुमार पुत्र स्व0 श्री कलमा नन्द, गांव अनुराक्षी, डाकघर करेरी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी के मुताबिक आधार कार्ड, पहचान पत्र, पंचायत रिकार्ड में श्री मनीष कुमार पुत्र स्व0 श्री कलमा नन्द दर्ज है, जोकि सही व दुरुस्त है परन्तु माल कागजात चक अनुराक्षी के कागजात माल में वादी का नाम मणि लाल दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल अनुराक्षी के कागजात माल में अपना नाम मणि लाल के स्थान पर मनीष कुमार दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 28-05-2025 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 28-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अनमोल शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच,
जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 13 / 13-B/2023

तारीख दायर : 10-05-2023

श्री चेत राम पुत्र श्री शुकुरु, निवासी गांव शाह, डाकघर धार-गौरा, तहसील रामपुर, जिला शिमला
(हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

नोटिस बनाम आम जनता।

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्री चेत राम पुत्र श्री शुकुरु, निवासी गांव शाह, डाकघर धार-गौरा, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थी की बहन श्रीमती भागी पुत्री स्व0 श्रीमती झावली का इंतकाल-उल-खबरी दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है। वादी की बहन 1995 से लापता है। लापता हुऐ करीब 27 साल का अरसा हो गया है। आज तक उनका कोई पता न चला है और न ही कोई चिट्ठी पत्र आई है, न ही किसी ने उनको देखा है। इस बारे पटवारी पटवार वृत्त बहाली रिपोर्ट व शपथ-पत्र साथ संलग्न किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो असालतन व वकालतन मिति 28-05-2025 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 28-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
(अनमोल शर्मा),
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 14 / 13B / 2024

तारीख दायर : 15-10-2024

श्री नन्त राम पुत्र श्री जिंगी, निवासी गांव नेहरा, डाकघर बहाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला
(हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त नाम दुरुस्ती।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त श्री नन्त राम पुत्र श्री जिंगी, निवासी गांव नेहरा, डाकघर घर बहाली, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी के मुताबिक आधार कार्ड, पहचान पत्र, पंचायत रिकार्ड में श्री नन्त राम पुत्र जिंगी दर्ज है, जोकि सही व दुरुस्त है परन्तु माल कागजात चक नेहरा के कागजात माल में वादी का नाम नन्तु दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल नेहरा के कागजात माल में अपना नाम नन्तु के स्थान पर नन्त राम पुत्र श्री जिंगी दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 28-05-2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 28-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

In the Court of Executive Magistrate Theog, Tehsil Theog, District Shimla, H. P.

Sh. Rishikesh s/o Lt. Shri Ram Kumar, r/o Ward No. 03, Naya Bazar Theog, P.O. Theog, Tehsil Theog, District Shimla, H.P. . . Applicant.

Versus

The General Public

. . Respondent.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, a case regarding entry of birth of Sh. Rishikesh s/o Lt. Shri Ram Kumar, r/o Ward No. 03, Naya Bazar Theog, P.O. Theog, Tehsil Theog, District Shimla, H.P. has been received in this office from Additional District Registrar (Birth & Death) with *vide* Letter No. 2882, dated 25-04-2025 for further necessary action under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Rishikesh has also submitted an application on dated 25-04-2025 in this office to enter the date of birth of himself in the record of Registrar Birth & Death in Municipal Committee Theog, Tehsil Theog, District Shimla, H.P.

Sl. No.	Name of the person whose date of birth is to be entered	Relation	Date of Birth
1.	Rishikesh	Self	06-08-1984

Hence this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding enter the name & date of birth of above named in the record Registrar Birth & Death in Municipal Committee Theog, Tehsil Theog may file their claims/objections in the court within one month of publication of this notice in Govt. e-Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 01-05-2025 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate
Theog, Tehsil Theog, District Shimla (H. P.).

**In the Court of Sh. Vijay Wardhan IAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

Sh. Dinesh Chauhan s/o Sh. Narender Singh, r/o 16-A, NAC Rohru, P.O. Rohru, Tehsil Rohru, District Shimla, H. P. . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Dinesh Chauhan s/o Sh. Narender Singh, r/o 16-A, NAC Rohru, P.O. Rohru, Tehsil Rohru, District Shimla, H. P. has filed an application alongwith affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of himself Dinesh Chauhan 30-07-1991 in the record of Birth Register of M.C. Rohru.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to enter date of Birth of Dinesh Chauhan 30-07-1991, they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 26th April, 2025.

Seal.

Sd/-
(VIJAY WARDHAN, I.A.S.).
Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H. P.).

**In the Court of Sh. Vijay Wardhan IAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.)**

1. Rajat Kumar s/o Sh. Yashwant Singh, r/o Village Bhomwari, P.O. Devidhar, Sub-Tehsil Jangla, District Shimla, H. P.

2. Vartika d/o Govind Singh, r/o Village Jangla, P.O. & Sub-Tehsil Jangla, District Shimla, H. P. . . Applicants.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Registration of marriage under H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Whereas, the above named applicants have made an application of marriage under H.P. Registration of Marriage Act, 1996 allongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 29-11-2023 at Village Jangla, P.O. & Sub-Tehsil Jangla, District Shimla, H. P. but this marriage has not been entered in the record of the, Gram Panchayat Devidhar Dev. Block Chhohara, District Shimla (H.P.) and whereas, the applicants have prayed that necessary order for the registration of their marriage be passed.

Now, therefore, objection are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection to the proposed registration of marriage and order shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 26th April, 2025.

Seal.

Sd/-
(VIJAY WARDHAN, I.A.S.).
Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla, H. P.

**ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पच्छाद,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

श्रीमती रीना देवी पुत्री इन्द्र दत्त, निवासी ग्राम बनोना, डाकघर वासनी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रीना देवी पुत्री इन्द्र दत्त, निवासी ग्राम बनोना, डाकघर वासनी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 01-12-1979 का पंजीकरण ग्राम पंचायत बनोना के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत बनोना में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-05-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती जयमन्ती देवी पुत्री अमर सिंह, निवासी ग्राम खैर, डाकघर जयहर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती जयमन्ती देवी पुत्री अमर सिंह, निवासी ग्राम खैर, डाकघर जयहर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 01-01-1965 का पंजीकरण ग्राम पंचायत जयहर के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत जयहर में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-05-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री राज बहादुर पुत्र सन्त बहादुर, निवासी ग्राम व डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है श्री राज बहादुर पुत्र सन्त बहादुर, निवासी ग्राम व डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 02-06-1985 का पंजीकरण ग्राम पंचायत जामन की सैर के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत जामन की सैर में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-05-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री सन्त राम, निवासी ग्राम मोहर, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री सन्त राम, निवासी ग्राम मोहर, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 20-10-1954 का पंजीकरण ग्राम पंचायत नारग के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत नारग में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-05-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री प्रवीन कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती रीना देवी पुत्री सन्त राम, निवासी ग्राम मोहर, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री सन्त राम, निवासी ग्राम मोहर, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन को इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उनकी जन्म तिथि 20-10-1954 का पंजीकरण ग्राम पंचायत नारग के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया जा सका था व अनुरोध किया है कि इनका पंजीकरण ग्राम पंचायत नारग में करवाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

इससे पूर्व कि उक्त व्यक्ति का पंजीकरण किया जावे, इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त व्यक्ति की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-05-2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 19-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील पच्छाद स्थित सराहां, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 01 / 2025

दिनांक : 16-04-2025

तारीख पेशी : 15-05-2025

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री इन्द्र लाल, निवासी गांव ज्यावला, डाकघर खरड़हट्टी, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

व

वन्दना देवी पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी गांव लड़हेच, डाकघर मान, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.—विशेष विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1954 की धारा 5 के अन्तर्गत विवाह हेतु नोटिस।

प्रार्थी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री इन्द्र लाल, निवासी गांव ज्यावला, डाकघर खरड़हट्टी, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश तथा वन्दना देवी पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी गांव लड़हेच, डाकघर मान, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में विशेष विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1954 की धारा 5 के अन्तर्गत विवाह हेतु नोटिस दिया है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-05-2025 को या इससे पूर्व अपना लिखित अथवा मौखिक एतराज इस अदालत में प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त प्रार्थीगण को विवाह की अनुमति जारी कर दी जाएगी।

आज दिनांक 16-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

विवाह अधिकारी एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी अर्की,
तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0प्र0)।

**ब अदालत मोहन लाल महन्त, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश**

वाद संख्या 16 / 2025

संस्थापन तिथि : 14-04-2025

श्री अमृत पाल सिंह पुत्र स्व0 श्री सरदार मलकीयत सिंह, निवासी स्‍क.121, परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

इश्तहार जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इश्तहार बनाम आम जनता

हरगाह उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में हर आम/खास जनता व जन-साधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्री अमृत पाल सिंह पुत्र स्व० श्री सरदार मलकीयत सिंह, निवासी स्प्ल.121, परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने श्रीमती रूपिन्दर कौर पत्नी हरपाल सिंह की मृत्यु इन्द्राज बारे प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत अपने ब्यान हल्फिया सहित दायर किया है कि उनकी मृत्यु दिनांक 02-08-2014 को कौशल्या खड्ड नजदीक गाव कुठरग (चक्की मोड़), तहसील कसौली में हुई थी जिसका किसी कारणवश ग्राम पंचायत जाबली के रिकार्ड में मृत्यु का इन्द्राज नहीं करवा सके, जिसका अब वह ग्राम पंचायत के रिकार्ड में इन्द्राज करवाना चाहते हैं, जोकि उपमण्डलाधिकारी (ना०) कसौली के माध्यम से बराये पारित आदेश इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, यदि किसी को उपरोक्त की मृत्यु तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत जाबली के रिकार्ड में दर्ज होने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-05-2025 या इससे पूर्व अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप में इस कार्यालय में पेश कर सकते हैं। अन्यथा वादी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गये साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त की मृत्यु तिथि का इन्द्राज किये जाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे तथा बाद गुजरने मियाद किसी का कोई एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन (हि०प्र०)।

ब अदालत मोहन लाल महन्त, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

वाद
संस्थापन तिथि : 17-04-2025

संख्या

:

01 / 2025

श्री लेख सिंह पुत्र श्री जगरनाथ, निवासी डुडरा, उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

इश्तहार बाबत राजस्व अभिलेख नाम दुरुस्त करवाने बारे।

इश्तहार बनाम आम जनता

यह आवेदन पत्र श्री लेख सिंह पुत्र श्री जगरनाथ, निवासी डुडरा, उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय से गुजारा है कि मौजा उप-महाल चन्द्रैणी, महाल तीडो के खाता/खतौनी नं०

5/6, 8, 19/22 ता 29 व मौजा तीडो के खाता/खतौनी नं 30/67 ता 68, 34/72 ता 82, 35/83 ता 92, 37/96, 49/121 ता 133, 65/162 ता 163, 100/243 ता 244 व मौजा उप-मोहाल नहलोग खाता खतौनी नं 13/13 ता 14, 14/15 ता 17 व मौजा शिल्लू खुर्द में खाता खतौनी नं 5/8 ता 11, 6/12, 8/14, 9/16 में प्रार्थी का नाम श्री लेख राज व प्रार्थी के पिता का नाम श्री अमर नाथ दर्ज राजस्व अभिलेख है जबकि उनका सही नाम श्री लेख सिंह व पिता का सही नाम श्री जगर नाथ है। प्रार्थी ने अपना नाम लेख सिंह व पिता का नाम जगर नाथ होने बारे अपना आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल इत्यादि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये हैं। आवेदन पत्र बराये छानबीन पटवारी हल्का तीडो को भेजा गया था जो बाद रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। पटवारी द्वारा बाद छानबीन स्पष्ट किया है कि प्रार्थी का नाम श्री लेख राज पुत्र अमर नाथ के बजाये श्री लेख राज उर्फ लेख सिंह व उनके पिता का नाम अमर नाथ उर्फ जगर नाथ किया जाना उचित है।

अतः इस बाबत आम जनता/हितबद्ध व्यक्तियों को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम श्री लेख राज व उसके पिता का नाम अमर नाथ के बजाए जगर नाथ करने बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह इस नोटिस के छपने के एक माह के अन्दर इस न्यायालय में असालतन व वकालतन अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार का एतराज काबिले गौर न होगा तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में श्री लेख राज उर्फ लेख सिंह व उनके पिता का नाम अमर नाथ उर्फ जगर नाथ करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील परवाणू, जिला सोलन (हि0प्र0)।

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 9th May, 2025

No. MPP-F(10)-13/2024.—Whereas Clause 12.5, Chapter-XII of the Swaran Jayanti Energy Policy, 2021, Notified on 20-1-2022 provides that the State Government will set up a mechanism for optimization of energy management through Single Entity. This entity will diligently manage the power of Directorate of Energy (DOE), HP Power Corporation Ltd. (HPPCL) and HP State Electricity Board Ltd. (HPSEBL) without affecting the interest of individual entity.

Whereas the World Bank under Himachal Pradesh Power Sector Development Programme has approved US \$20 million for the Single Entity, which shall be released as under:—

1. First year: US \$1.00 million after the issuance of notification for single entity
2. Third year: US \$9.00 million on deployment of information technology (IT) infrastructure for implementing single entity is completed.
3. Fourth year: US \$10 million on making Single Entity functional

Whereas the three power trading entities of Himachal Pradesh *i.e.* HPSEBL, HPPCL and DOE were selling/purchasing the energy outside the State as per the applicable regulations, availability and convenience. It was observed that due to independent functioning of these three entities, sometimes it becomes difficult to achieve optimum/ economical prices for disposal and arrangement of power. The lack of communication between the three agencies and lack of proper planning/estimates for power requirements, power sometimes is sold at lower rates and purchased as higher rates as the three agencies quote separate rates. As such, involvement of multiple agencies in trading lead to inefficiency. Moreover, DOE is restricted from entering into long term commitments on power markets due to absence of scheduling rights. Further, it was also observed that with the increased complexity in the energy market a dedicated team is required to be established to cover market challenges to opportunities, which at the same time is also required to deal with and take advantage of market arbitrage. The introduction of new markets like DAM/RTM/TAM/GDAM/F&O etc. also require trained and motivated team to work 24x7 for forecasting of trends and planning for optimization of revenues.

Whereas, as per mandate of Swaran Jayanti Energy Policy, 2021 (Clause 12.5 Chapter-XII) for establishment of a Single Entity for power management and the third Disbursement Linked Indicator (DLI-3) of World Bank funded HP Power Sector Development Programme which provides that all existing trading contracts of DOE, HPPCL and HPSEBL will migrate to the Single Entity, a Single Energy Trading Desk was constituted *vide* Notification No. MPP-F(10)-45/2023 dated 21-9-2023 after having approval of the Council of Ministers. The main objective of this Single Entity was to co-ordinate trading strategies and transactions of power of HPSEBL, HPPCL and DOE and take necessary action for the achievement of objective of optimization of revenues through short, medium and long term planning and arrangement/disposal of energy in economic, reliable manner. Besides, it was assigned the task to workout structural and financial details of establishing a single independent entity for trade of power in HP in respect of these three power entities. While the Director (Energy) was made Chairman of the Single Energy Trading Desk, members were included from HPSEBL, HPPCL, ALDC and DOE. The Chief Engineer (System Operation) HPSEBL was designated as Member Secretary of this Single Energy Trading Desk Notified on 21-9-2023.

Whereas, the Chief Engineer (SO), HPSEBL-cum-Member Secretary, Single Energy Trading Desk, on the recommendation of the Committee, sent proposal for establishing Himachal Pradesh Energy Management Centre (HPEMC), which was placed before the Council of Ministers in its meeting held on 20-12-2023. The Council of Ministers approved to establish HP Energy Management Centre (HPEMC) as single Independent Entity to transact the energy trading and responsible for power management of DOE, HPSEBL and HPPCL. Notification to this effect was issued on 11-1-2024 and the Director (Energy) was requested to take all necessary steps to commence the working of the HPEMC *vide* letter dated 27-1-2024.

Whereas, *vide* office order dated 16-3-2024, officers were assigned the charge of the posts *i.e.* Executive Director; General Manager (F&P), and DGM (Regulatory), HPEMC to look after the work of HPEMC exclusively, as a stop gap arrangement, without any extra remuneration in public interest on temporary basis. Further, DOE was requested *vide* letter dated 21-3-2024 to send detailed proposal to fill up posts on regular basis in HPEMC.

Whereas, in pursuance to the Notification dated 21-9-2023 and 11-1-2024, the administrative control of the office of Chief Engineer (System Operation), HPSEBL was transferred to HPEMC *vide* Office Order dated 06-6-2024.

Whereas *vide* order dated 13-9-2024, the administrative control of Chief Engineer (System Operation) office was reverted back to HPSEBL for the financial year 2024-25 with the stipulation

that a Task Force will be constituted to assess the issues of HPEMC in totality and to re-work the structure and charter of duties so that it may be made functional from next financial year.

Whereas, meanwhile *vide* Notification dated 21-9-2024, it was notified that HPEMC has been established under Section 12 & 14 of the Electricity Act, 2003 and as per provisions contained in Clause 12.5 of the Swarant Jayanti Energy Policy, 2021 and is a State Government Entity under the MPP & Power Department. This notification also provides that the HPEMC established *vide* notification dated 11-1-2024 is a Deemed Licensee under 3rd proviso of Section 14 of the Electricity Act, 2003 and bound by the terms and conditions of license specified or to be specified by the HPERC under proviso to Section 16 of the Electricity Act, 2003. Furthermore, the Board of HPEMC is also renamed as 'Governing Body' of HPEMC.

And whereas the Chairman, Task Force constituted *vide* Notification dated 22-11-2024 has submitted his report on 7-4-2024. The recommendations of the Task Force have been considered.

Now, therefore, in modification of Notification dated 11-1-2024 and 21-9-2024 and in supersession of the order dated 13-9-2024, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under Section 12 & 14 of the Electricity Act, 2003 read with the provisions contained in Clause 12.5 of the Swaran Jayanti Energy Policy, 2021, is pleased to re-constitute the Himachal Pradesh Energy Management Centre (HPEMC), as Single Entity for management and trading of power in the State of Himachal Pradesh as a part of Directorate of Energy, MPP& Power Department, with immediate effect in the public interest.

The Governor, Himachal Pradesh is also pleased to order that the HPEMC is a Deemed Licensee under 3rd proviso to Section 14 of the Electricity Act, 2003 shall comply with the terms and conditions of the license specified or to be specified by the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission and/or the Central Electricity Regulatory Commission in accordance with the provision of Section 16 of the Electricity Act, 2003.

Further, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the HPEMC, a single unified institutional framework, shall engage in power management, optimization of energy resources and the transaction of State's energy business, which at present is being done by three agencies *i.e.* HPSEBL, HPPCL and DoE. HPEMC's structure and functions are given as under:—

1. The HPEMC will consist of 40 posts which shall be diverted from HPSEBL/HPPCL/DOE to the HPEMC in Directorate of Energy. Details have been tabulated below:—

Sr. No.	Designation	No. of posts	Remarks
1.	Addl. Director	1	1 post of CE(E) or equivalent to be diverted from HPSEBL/HPPCL.
2.	Joint Director (Finance, Per. & IT)	1	To be diverted from HPSEBL/HPPCL. The candidate opting for this post shall have qualified CA/ICWA/MBA (Fin.)/HPSAS (I&II) and have Master Degree in Computer Application/B.Tech (Computer Science) with 25 Years regular service in State power Sector out of

			which 10 years service must be exclusively in finance & accounts.
3.	Supertending Engineer (Elect.)	2	Equivalent posts of SE (Elect.)/Dy.CE (Elect.) to be diverted from DoE/HPPCL/HPSEBL.
4.	Executive Engineer (Elect.)	10	Equivalent posts of Sr. EE (Elect.)/Addl. SE (Elect.) to be diverted from DoE, HPSEBL and HPPCL.
5.	Assistant Engineer (Elect.)	20	Equivalent posts to be diverted from DoE, HPSEBL and HPPCL.
6.	Account Officer	3	To be diverted from HPSEBL/HPPCL.
7.	Law Officer	1	Engaged on fixed remuneration basis
8.	Assistant Engineer (IT)	2	Engaged on fixed remuneration basis
	Total	40	
	The services of personnel's for secretarial, finance, accounts, transport, data entry works etc. shall be hired on outsource basis or on fixed remuneration basis or by way of re-engagement of retired Govt. employees.		

2. Out of total 20 Assistant Engineer (AEs), 8 AEs alongwith 4 Senior Executive Engineers/Addl. Superintending Engineers shall be deployed to work in the Area Load Dispatch Centre control room on a round-the-clock basis in shifts.

3. Personnel currently engaged in Trading and Power Management functions of HPSEBL, HPPCL and the Directorate of Energy (DoE) shall be transferred to the Himachal Pradesh Energy Management Centre (HPEMC) for an initial period of six months, and their consent shall be obtained during this period for continuing deployment in the HPEMC in accordance with Notification No. MPP-F910)-13/2024 dated 02-5-2025. Those who are not currently engaged in Trading and Power Management and are willing to serve against the any of the above mentioned posts shall made a request for transfer on absorption basis within 15 days from the issue of this Notification. The two officers already deputed in HPEMC, if they fulfill the criteria and willing to serve in HPEMC shall also exercise their option as per the above mentioned Notification dated 02-5-2025, for deployment absorption/merger in HPEMC. However, they shall continue to work in the HPEMC till alternate arrangement is made and/or staff is absorbed/ hired by HPEMC. Those who are permanently transferred and absorbed in the HPEMC, their respective posts shall be deemed to be abolished in the concerned organization. The service conditions /rules and budget provisions/funds for smooth running shall be finalized separately.

4. The power trading business shall be handled by HPEMC on single buyer/seller model and the functions of procuring/selling/banking under short term and long term power will be discharged by HPEMC, who:

- (a) Shall also be responsible for real-time monitoring of DoE/HPPCL/HPSEBL power, day-to-day power management, co-ordination with SLDC/HPPTCL and the procurement/sale of power, resource adequacy of the State including associated operations matters and take decisions related to policies and strategies for power procurement/sale on long term and short term.

- (b) Shall recommend to HPSEBL the execution of Power Purchase Agreements (PPAs) and Supplementary Agreements with generating stations, as required.
 - (c) Shall explore and negotiate long-term power procurement option with generators/sellers to secure cost-effective power and finalize corresponding PPAs.
 - (d) Shall recommend to HPSEBL the contracting of transmission capacity from both the Central Transmission Utility (CTU) and State Transmission Utility (STU), as necessary.
 - (e) Shall arrange short-term power procurement through power exchanges, open access mechanisms and other applicable routes.
 - (f) Shall be responsible for the settlement of inter-utility power usage among HPSEBL, HPPCL and DoE in accordance with prevailing regulatory framework.
5. Himachal Pradesh Energy Management Centre (HPEMC) shall be a Single Entity and to avoid duplication of efforts, no other utility shall independently undertake the above responsibilities.
6. HPEBL shall be solely responsible for the verification and processing of invoices received from generators/sellers as per the executed PPAs and applicable tariff order, and for ensuring timely payments. Additionally, HPSEBL shall handle all legal matters related to PPAs, including associated legal responsibilities and liabilities including opening of LC/BG etc.
7. The total expenditure on actual basis of HPEMC shall be borne by HPSEBL, DoE and HPPCL in the ratio of their contracted capacity as of 31st March of previous financial year.
8. Until SoPs are finalized and employees are absorbed in the HPEMC/DoE, the respective organizations (HPSEBL, HPPCL, DoE) will bear the salaries and expenses of such employees posted in HPEMC.
9. Director (Energy) shall take up the matter with Hon'ble HPERC on constitution of HPEMC alongwith detailed financial implications on HPSEBL and its functions.
10. The Director (Energy) shall take up the matter for determination of settlement rate for inter-utility power transactions with Hon'ble HPERC, initially and thereafter on annual basis.
11. HPEMC shall work on no profit and no loss model. The revenue earned from sale of power and expenditure incurred for purchase of power shall be borne by the respective agency and the settlement shall be done by HPEMC.
12. In case of any deviations in open market/real time power purchase for HPSEBL as approved by Hon'ble HPERC, DoE shall get all the necessary approvals from Hon'ble HPERC as and when required basis. Any membership/legal/regulatory fees paid by HPEMC shall become the part of general expenses of HPEMC.
13. DoE shall take decision for diversion of Go. HP Power share available as royalty power from ISGS projects to HPSEBL at HPERC determined/ approved tariff as per the request made from either of the entity.

14. DoE/HPEMC shall take decision for sale of power from DoE/HPPCL to HPSEBL and *vice-versa* at settlement rate duly approved by HPERC.

15. DoE shall also take all decisions related to disposal (sale, purchase, banking) of power and power prices on short term, long term and bilateral mode for HPSEBL, DoE and HPPCL.

16. DoE shall also resolve disputes among the State power utilities as and when required

17. DoE can also assign any other function to the HPEMC which can logically and consequently become imperative due to this Notification.

18. DoE shall also oversee & take any further decision regarding arranging Human Resources/increase in sanctioned strength to effectively run the HPEMC as per this Notification.

19. DoE shall also evaluate/recommend to the State Government for financial support/additional budget/ funds for day to day working related to power purchase and fulfillment of license requirement by CERC/HPERC.

20. DoE shall also finalise the Standard Operating Procedures (SoPs) for engagement of staff including purchase and usages of assets and infrastructure for HPEMC.

By order,
Sd/-
(RAKESH KANWAR, IAS),
Secretary (Power).

समक्ष श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 03 / 2025

तारीख पेशी : 14-05-2025

श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री नेत्र सिंह, निवासी गांव संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री नेत्र सिंह, निवासी गांव संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके दादा (Grand Father) स्व0 श्री बस्ती राम पुत्र श्री राय सिंह की मृत्यु तिथि 18-12-2001 है, जोकि ग्राम पंचायत संगड़ाह के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 14-05-2025 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थी के दादा बस्ती राम पुत्र श्री राय सिंह की मृत्यु तिथि 18-12-2001 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(नवीन कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 13/2025

दायर तिथि : 17-04-2025

रंगीराम पुत्र श्री मनिया, निवासी ग्राम जुईनल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी रंगीराम पुत्र श्री मनिया, निवासी ग्राम जुईनल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का एक आवेदन—पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के कार्यालय पत्र संख्या: एच0एफ0डब्ल्यू0—एन0/एस0टी0/बी0 एण्ड डी0/डिलेय केसिस/2025-664, दिनांक 10-04-2025 के द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम रंगीराम पुत्र श्री मनिया राम एवं जन्म तिथि 01-07-1965 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत शावगा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उज्जर/एतराज दर्ज करवा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना—पत्र रंगीराम पुत्र श्री मनिया, निवासी ग्राम जुईनल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 17-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, ददाहू,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 7 / 13(3) of 2025

तारीख मजरुआ : 09-04-2025

तारीख पेशी : 20-05-2025

प्रार्थिया श्रीमती माया देवी पुत्री श्री अमर सिंह, निवासी खुड द्रविल, डाकघर जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3).

प्रार्थिया श्रीमती माया देवी पुत्री श्री अमर सिंह, निवासी खुड द्रविल, डाकघर जरग, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि वह अपनी जन्म तिथि 12-05-1991 को ग्राम पंचायत खुड द्रविल में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया का जन्म मिति 12-05-1991 को ग्राम पंचायत खुड द्रविल में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण (लापरवाही) से आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत खुड द्रविल में दर्ज नहीं करवा सकी। जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त दुरुस्ती मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 20-05-2025 को कार्यवारी दण्डाधिकारी ददाहू के समक्ष असातन या वकालतन पेश होंवे। अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(जय सिंह ठाकुर)
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, ददाहू,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 8 / 13(3) of 2025

तारीख मजरुआ : 09-04-2025

तारीख पेशी : 20-05-2025

प्रार्थी श्री विजय पुत्र श्री हीरा, निवासी घजला, डाकघर जामु कोटि, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3).

प्रार्थी श्री विजय पुत्र श्री हीरा, निवासी घजला, डाकघर जामु कोटि, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 06-07-1991 को ग्राम पंचायत जामु कोटि में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का जन्म मिति 06-07-1991 को ग्राम पंचायत जामु कोटि में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण (लापरवाही) से आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत खुड द्रविल में दर्ज नहीं करवा सके। जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त दुरुस्ती मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 20-05-2025 को कार्यवारी दण्डाधिकारी ददाहू के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होंवे। अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(जय सिंह ठाकुर)
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2025

दायर तिथि :

श्री मुन्नीर हुसैन पुत्र लियाकत अली, निवासी सिंघपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री मुन्नीर हुसैन पुत्र लियाकत अली, निवासी सिंघपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र-संख्या एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-12415, दिनांक 24-02-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री जिसका नाम अनाया मलिक है, की जन्म तिथि 05-09-2021 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत गुरुवाला सिंघपुरा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य

दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में अनाया मलिक पुत्री मुन्नीर हुसैन, निवासी गुरुवाला सिंघपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2025

दायर तिथि :

श्रीमती चिन्ता देवी पुत्री श्री गंगूराम, निवासी छछेती, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती चिन्ता देवी पुत्री श्री गंगूराम, निवासी छछेती, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र संख्या एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-13882, दिनांक 27-03-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है, कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 25-03-1970 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत छछेती के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती चिन्ता देवी पुत्री गंगूराम, निवासी छछेती, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांकको मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भू-व्यवस्था वृत्त नारग, उप-तहसील नारग,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री नन्दलाल पुत्र रती राम पुत्र बरडू निवासी उप-सम्पदा ओंजी सम्पदा मोहर, डाकघर व
उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नन्दलाल पुत्र रती राम पुत्र बरडू निवासी उप-सम्पदा ओंजी सम्पदा मोहर, डाकघर व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में नाम दुरुस्ती बारे दावा मिसल नम्बर 2/2025 ऑफ 2025, दिनांक 27-03-2025 दायर किया है कि उसके पिता रतीया पुत्र बरडू का नाम राजस्व अभिलेख में खाता/खतौनी नम्बर 2/8.12/29 में मुश्तरका तौर पर दर्ज राजस्व अभिलेख है। उपरोक्त खाताजात राजस्व अभिलेख में श्री नन्द लाल पुत्र रतीया पुत्र बरडू दर्ज राजस्व अभिलेख जमाबन्दी वर्ष 2013-2014 है। नन्द लाल के पिता श्री रतीय पुत्र बरडू पुत्र सिधू बराये इन्तकाल नम्बर 159 अताये हक मलकीयत तारीक फैसला 03-05-1976 व इन्तकाल नम्बर 235 बरास्त रतीय मालिक गैर मौरुसी तारीख फैसला दिनांक 11-02-1992 दर्ज राजस्व अभिलेख है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री नन्द लाल पुत्र रती राम पुत्र बरडू के नाम पर यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त इन्द्राज दुरुस्ती नाम बारा कागजात राजस्व अभिलेख में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि दिनांक 27-05-2025 तक इस न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे असातन या वकालतन अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत करें।

आज दिनांक 23-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

(जय पाल)

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भू-व्यवस्था वृत्त नारग, उप-तहसील नारग,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

समक्ष कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 05/2025

तारीख पेशी : 03-06-2025

श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री लायक राम, निवासी गांव डाहार, डाकघर व पंचायत संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री लायक राम, निवासी गांव डाहार, डाकघर व पंचायत संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 01-07-1979 है, जोकि ग्राम पंचायत संगड़ाह के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 03-06-2025 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1979 दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं० : 04 / 2025

तारीख पेशी : 03-06-2025

श्री लक्ष्मी सिंह पुत्र देवी राम, निवासी गांव व डाकघर सियूं, पंचायत संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री लक्ष्मी सिंह पुत्र देवी राम, निवासी गांव व डाकघर सियूं, पंचायत संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके रिश्ते की बहन स्व० श्रीमती सौकी देवी पत्नी स्व० श्री मातू की मृत्यु की तिथि 07-06-1998 है, जोकि ग्राम पंचायत संगड़ाह के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 03-06-2025 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थी के रिश्ते की बहन श्रीमती सौकी देवी पत्नी स्व० श्री मातू की मृत्यु तिथि 07-06-1998 दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 06 / 2025

तारीख पेशी : 03-06-2025

श्री बलदेव सिंह पुत्र हिरा सिंह, निवासी गांव टूहेरी, डाकघर व पंचायत सैंज, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री बलदेव सिंह पुत्र हिरा सिंह, निवासी गांव टूहेरी, डाकघर व पंचायत सैंज, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री सुश्री सुशीला देवी की जन्म तिथि 10-08-2009 है, जोकि ग्राम पंचायत सैंज के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 03-06-2025 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थी की पुत्री सुश्री सुशीला देवी की जन्म तिथि 10-08-2009 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

(नवीन कुमार),

कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री मदन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी कटोरड़, डाकघर बनेठी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

आवेदन—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती मोहाल कटोरड़, पटवार वृत्त बनेठी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

प्रार्थी श्री मदन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी कटोरड़, डाकघर बनेठी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरखास्त पेश की है कि राजस्व कागजात रिकार्ड मोहाल कटोरड़, नाहन, तहसील नाहन में उनका नाम काकू पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र श्री मन्शाराम दर्ज है, जबकि उनका सही नाम मदन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र श्री मन्शाराम है। प्रार्थी द्वारा संलग्न सभी दस्तावेजों में भी उनका नाम मदन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह दर्ज है। जिसे वह राजस्व रिकार्ड मोहाल कटोरड़ में सही दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम काकू पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र श्री मन्शाराम के स्थान पर मदन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र श्री मन्शाराम दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 26-05-2025 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 25-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी तहसीलदार,
नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।